

पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर
विज्ञापन क्र. 1871 / भंडार/क्रय/2024 दिनांक 04/01/2024

द्वितीय खुली निविदा सूचना

विश्वविद्यालय की ओर से आवश्यक सामग्री क्रय/सेवा के लिए निर्माताओं/पंजीकृत फर्म/अधिकृत विक्रेताओं से निम्नानुसार सामग्री प्रदाय हेतु मोहरबंद निविदा आमंत्रित की जाती है-

1. स्टेशनरी सामग्री क्रय
2. पुस्तक क्रय
3. Dedicated Internet Leased Line Over Fiber

उपरोक्त सामग्री/सेवा हेतु पृथक-पृथक निविदा आमंत्रित है। निविदा फार्म तिथि एवं अन्य विस्तृत जानकारी विश्वविद्यालय के वेबसाइट www.pssou.ac.in से प्राप्त की जा सकती है।

कुलसचिव

पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर

(छ. ग. शासन के अधिनियम क्र. 26/2004 द्वारा स्थापित)

(Accredited by NAAC with Grade 'A+')

कोनी बिरकोना मार्ग, बिलासपुर फोन 07752-240712, 240752

Web site: www.pssou.ac.in, Email-registrar@pssou.ac.in

द्वितीय खुली निविदा प्रारूप
निविदा-प्रपत्र

फार्म क्रमांक:

DEDICATED INTERNET LEASED LINE OVER FIBER TENDER

द्वितीय खुली निविदा
की शर्तें एवं प्रपत्र

निविदा विक्रय की अंतिम तिथि	05/02/2024 सायं 5.00 बजे तक।
निविदा जमा करने की अंतिम तिथि	06/02/2024 प्रातः 11.00 बजे तक।
निविदा खोलने की तिथि	06/02/2024 दोपहर 12.00 बजे तक।

निविदा प्रपत्र का मूल्य रु. 1000/-
अमानत राशि रु 20,000/-

पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर

(छ. ग. शासन के अधिनियम क्र. 26/2004 द्वारा स्थापित)

(Accredited by NAAC with Grade 'A+')

कोनी बिरकोना मार्ग, बिलासपुर फोन 07752-240712, 240752

Web site: www.pssou.ac.in, Email-registrar@pssou.ac.in

निविदा प्रपत्र का मूल्य 1000/-

निविदा प्रपत्र रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट/व्यक्तिगत रूप से जमा करने की अंतिम तिथि / /2024
समय : अपराह्न 11.00 प्रातः बजे तक

खुली निविदा प्रपत्र

प्रति,

कुलसचिव,
पण्डित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय
छत्तीसगढ़, बिलासपुर

विषय : **DEDICATED INTERNET LEASED LINE OVER FIBER** की निविदा दर विषयक।

महोदय/ महोदया

उपर्युक्त विषय से संबंधित दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित निविदा क्रमांक
/भंडार/क्रय/2024

बिलासपुर, दिनांक के संबंध में निवेदन है कि मुझे **DEDICATED INTERNET LEASED LINE OVER FIBER** प्रदाय करने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित की गई समस्त शर्तें क्रमांक 01 से 28 तक मान्य हैं, अतः **DEDICATED INTERNET LEASED LINE OVER FIBER** प्रदाय करने हेतु निविदा प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं आदेश प्राप्त होने के पश्चात् अधिकतम 30 दिवस के भीतर आदेशित कार्य (सेवा) विश्वविद्यालय को प्रदाय करूँगा। मेरे द्वारा प्रस्तुत की गई **DEDICATED INTERNET LEASED LINE OVER FIBER** प्रदाय करने की दर समस्त करों सहित विश्वविद्यालय में स्थापित करके एवं विश्वविद्यालय के समस्त नियम एवं शर्तों के अधीन है। इसके अतिरिक्त किसी प्रकार की कोई भी अन्य राशि विश्वविद्यालय द्वारा देय नहीं होगी।

1. निविदाकर्ता का नाम, पूर्ण पता एवं दूरभाष/मोबाइल नंबर सहित
2. कुलसचिव, पण्डित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर के नाम से देय अमानत राशि रुपये 20,000/- (बीस हजार रुपये मात्र) का बैंक ड्राफ्ट क्रमांक व बैंक का नाम एवं दिनांक
3. निम्नांकित प्रविष्टियों के साथ सत्यापित छायाप्रति (निम्न में से जो भी लागू हो) निविदा के साथ संलग्न करें।

(क) वाणिज्य कर जीवित पंजीयन प्रमाण-पत्र/GST

(ख) टर्न ओवर प्रमाण-पत्र

(ग) गत वर्ष की आय कर विक्रयकर विवरणिका.....

(घ) नवीनतम आयकर विवरणिका की प्रति

(ड) ISO 9001: 2008 Certificate.

(ट) वैध NLD तथा ISP लाइसेन्स।

(ठ) पूर्व में किसी सरकारी अथवा निजी संस्थान में इंटरनेट बैंडविथ प्रदाय करने का साक्ष्य/अनुबंध की प्रति।

(ध) INTERNET BANDWIDTH प्रदाय करने संबंधी TRAI का पंजीयन।

4. निविदाकर्ता द्वारा इंटरनेट सर्विस प्रदाय करने कंपनी/निविदाकर्ता के लेटर हैड पर जारी किए गए अधिकार-पत्र की हस्ताक्षरित प्रति (पद मुद्रा सहित) संलग्न करें।
5. निविदाकार द्वारा निविदा -प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर पद मुद्रा सहित होना आवश्यक है। निविदाकार के हस्ताक्षर (पद मुद्रा सहित)

निविदाकार का पूरा नाम

फर्म/कंपनी का नाम

जी.एस.टी. क्रमांक

जी.एस.टी. क्रमांक जिनके नाम पर

प्रदान किया गया है, उसका पूरा नाम

कंपनी में उनका पदनाम

पूर्ण पता एवं दूरभाष/मोबाइल नंबर सहित

दिनांक

स्थान

हस्ताक्षर

फर्म की सील सहित

पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर

(छ. ग. शासन के अधिनियम क्र. 26/2004 द्वारा स्थापित)

(Accredited by NAAC with Grade 'A+')

कोनी बिरकोना मार्ग, बिलासपुर फोन 07752-240712, 240752

Web site: www.pssou.ac.in, Email-registrar@pssou.ac.in

SCOPE OF WORK:-

The Detailed Scope Of Work Involves:

- Provide dedicated 1 Gbps (1:1) (Dedicated wired Internet Leased Line Uncompressed and unshared), bandwidth.
- To ensure PoP level redundancy Ring Topology to be used for connectivity.
- Provide a block of 08 Public IP's (IPV-4) to enable PSSOU to use the same for web servers, mailing solution etc.
- DNS Service: The ISP should provide DNS services including reverse Lookups.

Service Criteria (Internet Bandwidth – Technical Specification)

- Working days: Seven days a week (Monday to Sunday)
- Throughput: 100% non blocking [Symmetric]
- Latency: <100 ms
- Packet Loss/ Drop: <1.0%
- Helpdesk Support (with preferably trouble ticketing/toll free number) : 24x7x 365
- Dedicated Account management Team: Single point of contact for service requirements such as ordering, implementation, operations and billing.

1. INSTALLATION:-

- Installation मुख्यालय, पण्डित सुंदरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय बिलासपुर (latitude : 22.1423596616540432, longitude : 82.14216851046622) में किया जायेगा।
- इन्स्टालेशन एवं संचालन संबंधी किसी प्रकार की वैधानिक आवश्यकता, विभिन्न प्राधिकारियों से अनुमति लेना तथा उपकरणों की जिम्मेदारी निविदाकर्ता की होगी।
- इन्स्टालेशन हेतु सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यथा राउटर/ स्विच आदि one time installation charge के अंतर्गत देय होगा। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण स्थापित करने हेतु किसी प्रकार का अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जावेगा।

2. प्रशिक्षण आवश्यकताएं : –

इन्टरनेट संचालन संबंधी आवश्यक प्रशिक्षण निविदाकर्ता द्वारा विश्वविद्यालय के संबंधित कर्मचारी को प्रदाय किया जाएगा।

3. MAINTENANCE AND SUPPORT :-

- किसी भी तकनीकी समस्या के निदान हेतु फर्म का स्थानीय सहायता होना अनिवार्य है। जिसकी जानकारी फर्म द्वारा विश्वविद्यालय को प्रदाय किया जायेगा।
- फर्म/OEM द्वारा **24X7** की सहायता/सर्विस प्रदान की जावेगी तथा किसी भी उपकरण के खराब होने पर बदले जाने तथा सर्विस के लिये विश्वविद्यालय द्वारा पृथक से कोई भुगतान नहीं किया जावेगा।
- किसी प्राकृतिक आपदा जैसे भुकंप, बाढ़, बिजली गिरने आदि के कारण फर्म द्वारा स्थापित किसी भी उपकरण के खराब हो जाने की स्थिति में विश्वविद्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।
- सर्विस की निरंतरता तथा रखरखाव सुनिश्चित करने के लिये फर्म द्वारा प्रत्येक माह कम से कम एक बार इंजिनियर द्वारा निरीक्षण किया जावेगा।

4. ELIGIBILITY CRITERIA :-

- निविदाकर्ता का भारतीय कानून द्वारा मान्य **Government Organization/PSU/PSE/ partnership firm or a limited company** होना अनिवार्य है।
- निविदाकर्ता के पास वैध **NLD** तथा **ISP** लाइसेन्स होना चाहिये तथा उसने कम से कम 3 वर्षों से भारत में फाइबर/वायरलेस नेटवर्क स्थापित किया है।
- निविदाकर्ता के पास वैध **ISO 9001: 2008** प्रमाणीकरण (**Certification**) होना चाहिए।
- निविदाकर्ता ने पूर्व में किसी सरकारी अथवा निजि संस्थान में इंटरनेट बैण्डविथ प्रदाय किया हो (दस्तावेज साक्ष्य होना अनिवार्य हैं)।
- निविदाकर्ता का भारत में इंटरनेट बैण्डविथ प्रदाय करने हेतु **TRAI** में पंजीकृत होना अनिवार्य है।

5. भुगतान की शर्त:-

फर्म से प्राप्त वार्षिक देयक का भुगतान विश्वविद्यालय द्वारा अग्रिम के रूप में किया जाएगा।

6. न्यूनतम अवधि:-

सेवा की न्यूनतम अवधि 01 वर्ष की होगी, जिसके संतोषप्रद होने की स्थिति में इसे निरंतर रखा जावेगा।

निविदा के नियम एवं शर्तें

1. निविदा हेतु तीन लिफाफे "अ" "ब" "स" के अनुसार लिफाफा "अ" में अमानत राशि एवं सुरक्षा निधि लिफाफा "ब" में तकनीकी संबंधी एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज एवं लिफाफा "स" में दर सूची रखकर उसे एक बड़े लिफाफा में डालकर प्रस्तुत करें। लिफाफा "अ" एवं "ब" के संतोषजनक पूर्ण होने पर ही लिफाफा "स" दर सूची खोली जावेगी। तथा पर्याप्त सुरक्षा निधि (अमानत राशि 20,000/- मात्र का किसी भी अनुसूचित वाणिज्य बैंक द्वारा जारी क्रासड बैंक ड्राफ्ट जो कुलसचिव, पण्डित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर के नाम से देय हो, संलग्न करना अनिवार्य है) एवं अर्हता संबंधित प्रमाणित प्रमाण पत्र संतोषजनक होने पर ही दूसरे लिफाफे "स" को खोला जावेगा।
2. विश्वविद्यालय भंडार विभाग में विज्ञापन में दी गई दिनांक एवं समय के अंदर, कुलसचिव, पण्डित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर द्वारा उपलब्ध कराए गए निविदा प्रपत्र में ही पूर्ण रूप से भरा सील बंद रजिस्टर्ड डाक/स्पीड पोस्ट या व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर जमा कर सकते हैं। किसी भी कारण से निविदा प्राप्त होने में डाक से होने वाले विलंब की जवाबदेही विश्वविद्यालय की नहीं होगी। जो भी निविदा निर्धारित अंतिम तिथि व समय के पश्चात् प्राप्त होगी, वह नहीं खोली जाएगी तथा मूलतः निविदाकर्ता को वापस लौटा दी जाएगी।
3. निविदाकर्ता द्वारा जमा की गई अमानत राशि पर विश्वविद्यालय द्वारा कोई भी ब्याज देय नहीं होगा। यह राशि शर्तानुसार समय-सीमा समाप्ति पश्चात् निविदाकर्ता द्वारा आवेदन करने पर निविदाकर्ता को नियमानुसार वापस कर दी जाएगी।
4. पूर्व में विश्वविद्यालय में किसी अन्य प्रयोजन/निविदा के साथ जमा की गई अमानत राशि का समायोजन प्रस्तुत निविदा में नहीं किया जाएगा। अतः इस हेतु किसी भी प्रकार का निविदाकर्ता का आवेदन अमान्य कर दिया जावेगा। विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित अमानत राशि के बिना जमा की गई निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी।
5. अंतिम रूप से निविदा स्वीकार होने के पूर्व यदि निविदाकर्ता निविदा वापस लेना चाहे अथवा जिनकी दरें क्रय समिति द्वारा अनुमोदित नहीं होती हैं, ऐसे समस्त निविदाकर्ता की अमानत राशि, निविदाकर्ता द्वारा कुलसचिव को आवेदन करने पर, बिना किसी ब्याज के नियमानुसार वापस लौटा दी जाएगी।
6. वाणिज्यकर जीवित पंजीयन प्रमाण, जी एस टी पंजीयन प्रमाणपत्र, जी.एस.टी. क्रमांक, गत वर्ष की आयकर विवरणिका, पेन क्रमांक, टर्नओवर प्रमाण पत्र, (CA द्वारा अभिप्रमाणित) तथा गत वर्ष की विक्रयकर विवरणिका (जो भी लागू हो) की स्व-सत्यापित छायाप्रति प्रति निविदा के साथ निविदाकर्ता को संलग्न करना आवश्यक है।
7. निविदा में दी गई दरों में (Over writing) होने पर निविदा निरस्त कर दी जाएगी। दरों को अंकों एवं शब्दों में लिखा जाना अनिवार्य है।
8. विश्वविद्यालय द्वारा प्रदाय किए गए निविदाकर्ता अथवा पार्टनर या उनके अधिकृत व्यक्ति द्वारा ही निविदा की दरें भरी जाकर निविदाकर्ता द्वारा मुहर सहित हस्ताक्षरित कर (प्रत्येक पृष्ठ) प्रस्तुत किया जाना होगा।
कुलसचिव, पण्डित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर को यह अधिकार होगा कि वह एक या एक से अधिक निविदा स्वीकृत करे या किसी भी समय किसी भी निविदा को बिना कोई कारण बताए विश्वविद्यालय हित में निरस्त कर देवे।

9. निविदा में दर्शायी गई दरों के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का पैकिंग, डिलवरी, परिवहन आदि या अन्य किसी भी प्रकार का कोई भी व्ययभार, विश्वविद्यालय द्वारा पृथक से देय/मान्य नहीं होगा।
10. आदेश में दर्शायी गई सेवा (कार्य) उल्लिखित अवधि में पूर्ण करना होगा।
11. निविदा में वर्णित सामग्री प्रदाय निविदा स्वीकृत होने पर प्रदाय आदेश में उल्लिखित विश्वविद्यालय की समस्त नियम एवं शर्तों के साथ करना होगा। आदेशित अवधि में प्रदाय पूरा नहीं करने पर विलम्ब हेतु कटौती की जाएगी जो निम्नानुसार होगी— अवधि में वृद्धि (कटौती के बिना या कटौती के साथ) किए जाने का अधिकार सक्षम अधिकारी के पास सुरक्षित है। यदि आदेश पत्र में निर्धारित तिथि से अधिक समय की आवश्यकता हो तो प्रदाय हेतु निर्धारित अंतिम तिथि से कम-से-कम सात दिवस पूर्व इस हेतु आवेदन देना चाहिए ताकि समय वृद्धि पर विचार कर आदेश दिया जा सके। आदेश में दी गई तिथि के अंदर प्रदाय पूर्ण नहीं करने पर निम्नानुसार देयक से कटौती की जाएगी। (अ) 15 दिनों तक के विलंब के लिए 01 प्रतिशत (ब) 30 दिनों तक के विलंब के लिए 03 प्रतिशत (स) 30 दिनों तक के ऊपर विलंब के लिए 05 प्रतिशत। 30 दिवस से अधिक होने पर निविदा आदेश निरस्त हो सकेगा।
12. निविदाकर्ता द्वारा **DEDICATED INTERNET LEASED LINE OVER FIBER** स्पेसिफिकेशन के अनुरूप प्रदाय नहीं करने पर सामग्री स्वीकार या अस्वीकार करने का संपूर्ण अधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित रहेगा। इंटरनेट सर्विस प्रदाय करने की दर स्वीकृत होने के उपरांत निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले किसी भी प्रकार के दस्तावेज/तर्क/एसोशियेशन का पत्र इत्यादि पर विचार नहीं किया जाएगा/मान्य नहीं किया जाएगा।
13. विश्वविद्यालय किसी फर्म को इस आधार पर कार्यादेश दिये जाने हेतु बाध्य नहीं है कि उनकी निविदा दर न्यूनतम है। एक समान एक से अधिक फर्मों की न्यूनतम दर होने पर टर्न ओवर के आधार पर क्रयादेश दिया जा सकेगा। साथ ही यह कि विश्वविद्यालय हित में संबंधित फर्म/कंपनी से दर के संबंध में मोल-तोल किया जा सकेगा।
14. निविदाकर्ता द्वारा निर्धारित समयावधि में समस्त कर व विश्वविद्यालय नियम व शर्तों के पालन के साथ) सेवा प्रदाय नहीं करने पर कुलपति जी को पूर्ण अधिकार होगा कि वे निविदा को किसी भी स्तर पर निरस्त कर सकें।
15. विश्वविद्यालय द्वारा प्रदाय किया गया निविदा प्रपत्र एवं नियम व शर्तों के प्रत्येक पृष्ठ पर निविदाकर्ता के सील सहित हस्ताक्षर कर विश्वविद्यालय में निविदा के साथ जमा करना होगा।
16. गुणवत्ता का निर्धारण विश्वविद्यालय तकनीकी विशेषज्ञ, समिति के द्वारा किया जाएगा तथा प्राप्त न्यूनतम दर पर क्रय किए जाने की बाध्यता नहीं होगी। बल्कि फर्म/कंपनी द्वारा प्रदाय की जाने वाली सेवा की तकनीकी विवरण के आधार पर क्रयादेश दिया जा सकेगा। इस विषय में विश्वविद्यालय स्वतंत्र है।
निविदाकर्ता इंटरनेट सर्विस प्रदाय करने हेतु निविदा प्रपत्र विश्वविद्यालय से क्रय कर अमानत राशि के साथ पृथक – पृथक लिफाफे में अपनी निविदा नियमानुसार प्रस्तुत कर सकता है तथा निविदा खोले जाने के समय उपस्थित रह सकता है।
17. केवल अधिकृत विक्रेता ही निविदाकार के रूप में मान्य होंगे। इस हेतु अधिकृत कंपनी द्वारा प्रमाणित प्रमाण पत्र जमा करना होगा।
18. विश्वविद्यालय के आवश्यकतानुसार निविदाकार द्वारा प्रदाय सामग्रियों का विवरणिका (BROCHURE) भी साथ में संलग्न करें।

19. निविदा प्रपत्र में उल्लेखित सामग्री का तकनीकी विवरण न्यूनतम है ,इसे पूरा करना अनिवार्य होगा ।
20. किसी भी विवाद की स्थिति में पहली अपील कुलसचिव, पण्डित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर को निविदा खोलने की तिथि के एक सप्ताह के अंदर तथा द्वितीय अपील पर दो सप्ताह के अंदर कुलपति महोदय, पण्डित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर को किया जा सकता है। कुलपति जी, निर्णय हेतु, प्रकरण किसी भी आरबीटेंटर को भेज सकेंगे (आरबीट्रेशन एक्ट के अनुसार)। कुलपति जी के स्वयं निर्णय या आरबीट्रेंटर का निर्णय सर्वमान्य होगा एवं निविदाकर्ता पर बाध्य होगा।
21. इस निविदा संबंधी किसी भी न्यायालयीन विवाद की स्थिति में बिलासपुर न्यायालय का क्षेत्राधिकार ही मान्य होगा।
22. दस्तावेज इंडेक्स सहित पेंजिंग उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा।
23. L - 1 फर्म को आदेश जारी किये जाने के पूर्व नियमानुसार आदेशित कुल राशि के 03 % (तीन प्रतिशत) राशि सुरक्षा निधि के रूप में D. D. के माध्यम से जमा करना होगा।

कुलसचिव
पण्डित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय
छत्तीसगढ़, बिलासपुर

पूर्व योग्यता जॉच सूची

01	अमानत राशि रु. 20,000/- (बीस हजार) का बैंक का डिमांड ड्राफ्ट जो कि कुलसचिव पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर के नाम से देय हो। (बंद लिफाफा "अ")			
02	निविदा प्रपत्र का निर्धारित शुल्क (रु. एक हजार) का डिमांड ड्राफ्ट (बंद लिफाफा "अ")			
03	वणिज्य कर जीवित पंजीयन/जी.एस.टी. पंजीयन (बंद लिफाफा "ब")			
04	निविदा प्रपत्र (बंद लिफाफा "ब")			
05	फर्म की टर्न ओवर पिछले तीन वर्षों में 45 लाख प्रतिवर्ष (C. A. से सत्यापित) (बंद लिफाफा "ब")			
06	आयकर विवरणिका (बंद लिफाफा "ब")			
07	ISO 9001: 2008 or above Certificate. (बंद लिफाफा "ब")			
08	जी. एस.टी./टिन क्रमांक (नियमानुसार जो लागू हो) एवं जिसके नाम पर हो की छायाप्रति (बंद लिफाफा "ब")			
09	वैध NLD तथा ISP लाइसेन्स नंबर (बंद लिफाफा "ब")			
10	पूर्व में किसी सरकारी अथवा निजी संस्थान में इंटरनेट बैंडविथ प्रदाय करने का साक्ष्य/अनुबंध की प्रति। (बंद लिफाफा "ब")			
11	INTERNET BANDWIDTH प्रदाय करने संबंधी TRAI का पंजीयन प्रमाण पत्र अथवा अनुबंध की प्रति। (बंद लिफाफा "ब")			
12	दर अनुसूची (बंद लिफाफा "स")			
13	इंडेक्स सहित पेंजिंग			

निविदाकार का हस्ताक्षर
फर्म का नाम
फर्म का सील/स्टाम्प

//घोषणा//

मैं पण्डित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर द्वारा निविदा-प्रपत्र के साथ दिए गए समस्त नियम एवं शर्तों सरल क्रमांक 01 से लेकर 23 तक का भली-भाँति पढ़ लिया हूँ तद उपरांत निविदा की दरें (समस्त करों सहित विश्वविद्यालय में पहुँचाकर एवं विश्वविद्यालय के समस्त नियम एवं शर्तों के साथ) भरी गयी है। मुझे निविदा प्रपत्र में उल्लिखित समस्त नियम एवं शर्तें मान्य हैं एवं मुझ पर बंधनकारी हैं।

निविदाकार के हस्ताक्षर (पद मुद्रा सहित)

निविदाकार का पूरा नाम

फर्म/कंपनी का नाम

टिन/ जी. एस. टी. क्रमांक

टिन/ जी. एस. टी. क्रमांक जिनके नाम पर

प्रदान किया गया है, उसका पूरा नाम

कंपनी में उनका पदनाम

पता एवं दूरभाष/मोबाइल नंबर सहित

दिनांक

हस्ताक्षर

स्थान.....

फर्म की सील

Annexer - 1

पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर

(छ. ग. शासन के अधिनियम क्र. 26/2004 द्वारा स्थापित)

(Accredited by NAAC with Grade 'A+')

कोनी बिरकोना मार्ग, बिलासपुर फोन 07752-240712, 240752

Web site: www.pssou.ac.in, Email-registrar@pssou.ac.in

दर सूची

Sr. No.	Item	Charges (Including All Taxes) Rs.	
		In Figure	In Words
1	Fixed Charges (One Time Charges) (Installation, Commissioning, Testing)		
2	Rucurring service charges (One Year)		
	Grand Total Rs		

निविदाकार का हस्ताक्षर
फर्म का नाम
फर्म का सील/स्टाम्प